24.08.2022

पत्रावली पेश हुई।

वादीगण अधिवक्ता उपस्थित।

प्रतिवादीगण के बावजूद सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 से 23 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 21 की सयुंक्त खातेदारी का खेत मौजा हाथीसिंह का गांव, तहसील शिव के खसरा नम्बर 165 रकबा 315.13 बीघा का आया हुआ है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पूर्व सहखातेदार अगरसिंह पुत्र मिठूसिंह से उनके हिस्से की समस्त भूमि 84.08 बीघा क्रय की थी तथा विक्रेता द्वारा वक्त क्रय ही वादीगण को भौतिक कब्जा सुपुर्द कर दिया गया था। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण का 1688 / 6313 हिस्सा से 84.08 बीघा पर कब्जा काश्त है जिसके पड़ौस में उत्तर दिशा में कटाण रोड़, दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 172, पूर्व में दिशा में खसरा नम्बर 381 / 165 की भूमि तथा पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 365 की शेष भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी में बहामी तौर पर बंटवारा किया हुआ है तथा उसी हिस्सानुसार पक्षकारान् का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। हाल ही में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जा काश्त में दखलंदाजी पैदा की जाकर मौखिक बंटवारा अनुसार तय किये गये सेढों को तोड़ने व संयुक्त खातेदारी में वादी के कब्जा काश्त पर कब्जा करने पर आमादा है। जबकि ऐसा करने का प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा संयुक्त खातेदारी भूमि में वादीगण के कब्जा काश्त में दखलदांजी करने एवं बाधा उत्पन्न करने से मौके पर तनाव व विवाद की स्थिति पैदा होने से मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वादीगण का खसरा नम्बर 165 में हिस्सा 1688 / 6313 रकबा 84.08 का बाद घोषणा विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर बाई मिट्स बाउण्ड विभाजन करवाने का वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजीयन कर प्रतिवादीगण को ज़रिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 23 बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। पत्रावली में वादी संख्या 2 द्वारा साक्ष्य स्वरूप स्वयं का बयान शपथ पत्र पेश किया तथा दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। वादी अधिवक्ता द्वारा खतौनी बंदोबस्त व अन्य दस्तावेज तथा हिस्से खुले हुए की नवीनतम् जमाबंदी पेश की गई।

पत्रावली में वादीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अंकित हिस्सा एवं मौके पर पक्षकारान् के कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर बाई मिट्स बाउण्ड बंटवारा किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 23 वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। चूंकि वादग्रस्त आराजी में वादीगण अधिवक्ता द्वारा अपने खातेदारी हिस्सा में मौके पर कब्जा अनुसार एवं विक्रय पत्र में अंकित पड़ौसान अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन हेतु निवेदन किया गया है तथा प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे है। अतः उक्त स्थिति में वादीगण विवादित आराजी का रेकर्डेड खातेदार होने तथा अपने खातेदारी हिस्से का राजस्व रेकर्ड व मौके पर कब्जा काश्त तथा विक्रय पत्र में अंकित पड़ौसान अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने बाबत् सहमति प्रदान किये जाने पर वाद को प्राथमिक तौर पर स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद प्रारंभिक / प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा हाथीसिंह का गांव, तहसील शिव के खसरा नम्बर 165 रकबा 315.13 बीघा में राजस्व रेकर्ड अनुसार वादीगण का संयुक्त रूप से 1688 / 6313 खातेदारी हिस्सा घोषित किया जाकर भूमि का मौके पर

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

	माफिक कब्जा काश्त अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड पृथक कर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार शिव को 500/- रूपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क खातेदार मौके पर अदा करेंगे। तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो। तहसीलदार शिव को विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते विभाजन प्रस्ताव आईन्दा दिनांक 17.10.22 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव
17/10/22	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 10/11/22 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव
10.11.22	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 02.12.22 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव
2.12.22	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित। TDR शिव से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया। पत्रावली वास्ते विभाजन प्रस्ताव पर बहस हेतु दिनांक 09.12.22 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव
9.12.22	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 23.1.23 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव
23.1.23	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 01.2.23 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव

हुक्म	
26.5.23	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इलतवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 26.6.23 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव
26.6.23	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली में वादी अधिवक्ता की विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई एवं TDR शिव से मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट में पुनः जांच में विभाजन प्रस्ताव, वर्तमान जमाबंदी व न्यायालय द्वारा जारी PD अनुसार ही सही तैयार किया जाना बताया गया है। वादी अधिवक्ता द्वारा भी TDR शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। पत्रावली में बहस सुनी जाकर निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व वाद संख्या 169 / 2020 — अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मालाराम पुत्र काछबाराम जाति देवासी, निवासी मौखाब खुर्द तहसील शिव, जिला बाड़मेर 2. महेन्द्रसिंह पुत्र रिड़मलसिंह जाति राजपुत, निवासी बोरली बारासण तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर		1. सिरेकंवर पत्नी अगरसिंह जाति राजपुत, निवासी कपूरड़ी तहसील व जिला बाड़मेर 2. कमलसिंह गोदपुत्र तगसिंह 3. मांगसिंह पुत्र ईशरसिंह 4. दौलतसिंह पुत्र ईशरसिंह 5. भंवरसिंह पुत्र विशनसिंह 6. गुलाबसिंह पुत्र उम्मेदसिंह 7. माधूसिंह पुत्र उम्मेदसिंह 8. जसवंतसिंह पुत्र उम्मेदसिंह 9. चन्द्रकंवर पत्नी उम्मेदसिंह 10. चनणसिंह पुत्र अर्जुनसिंह 11. कल्याणसिंह पुत्र नाथूसिंह 12. कंवराकंवर पत्नी नाथूसिंह 13. बेरीसालसिंह पुत्र आम्बसिंह 14. सबलसिंह पुत्र आम्बसिंह 15. गिरधरसिंह पुत्र सबलसिंह 16. हिन्दूसिंह पुत्र सबलसिंह 17. कूम्पसिंह पुत्र आम्बसिंह 18. भाखरसिंह पुत्र शैतानसिंह 19. भोजराजसिंह पुत्र शैतानसिंह 20. प्रेमसिंह पुत्र शैतानसिंह 21. मथरकंवर पत्नी शैतानसिंह जाति राजपुत, निवासी हाथीसिंह का गांव तहसील शिव, जिला बाड़मेर 22. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा शिव 23. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शिव 24. तहसीलदार शिव

उपस्थित :– **अधिवक्ता वादीगण – श्री देवीलाल कुमावत।**

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 26.06.2023

वादीगण अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादीगण अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट अनुसार सहमति प्रदान करने पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव एवं वर्तमान जमाबंदी अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल हाथीसिंह का गांव के ग्राम हाथीसिंह का गांव के खेत खसरा नम्बर 165 रकबा 51.0955 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है –

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	महेन्द्रसिंह पुत्र रिड़मलसिंह हिस्सा 460 / 1688 जाति राजपुत सा. बोरली बारासण, तह. गुढामालानी खातेदार मालाराम पुत्र काछबाराम हिस्सा 1228 / 1688 जाति रबारी सा. मौखाब खुर्द खातेदार	हाथीसिंह का गांव	165	13.6621	बा. दो.		लाल

उपखण्ड अधिकारी (stamp) शिव

2	कंवराकंवर पत्नी नाथूसिंह हिस्सा 305/4625, कूम्पसिंह पुत्र आम्बसिंह हिस्सा 152/4625, कमलसिंह दत्तक पुत्र तगसिंह हिस्सा 611/4625, कल्याणसिंह पुत्र नाथूसिंह हिस्सा 305/4625, गुलाबसिंह पुत्र उम्मेदसिंह हिस्सा 305/18500 रहन हिस्सा बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शिव गुलाबसिंह पुत्र बेरीसालसिह हिस्सा 152/23125, गिरधरसिंह पु सबलसिंह हिस्सा 51/4625 रहन हिस्सा बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शिव, चनणसिंह पुत्र अर्जुनसिंह हिस्सा 305/4625, चन्द्रकंवर पत्नी उम्मेदसिंह हिस्सा 305/18500 रहन हिस्सा बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शिव, जसवंतसिंह पुत्र उम्मेदसिंह हिस्सा 305/18500 रहन हिस्सा बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शिव, तनेसिंह पुत्र बेरीसालसिंह हिस्सा 152/23125, दौलतसिंह पुत्र ईश्वरसिंह हिस्सा 306/4625 रहन हिस्सा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा शिव, प्रेमसिंह पुत्र शैतानसिंह हिस्सा 38/4625, बाबूसिंह पुत्र बेरीसालसिंह हिस्सा 152/23125, भंवरसिंह पुत्र बिशनसिंह हिस्सा 611/4625, भाखरसिंह पुत्र शैतानसिंह हिस्सा 38/4625, भोजराजसिंह पुत्र शैतानसिंह हिस्सा 38/4625, मथरकंवर पत्नी शैतानसिंह हिस्सा 38/4625, मांगसिंह पुत्र ईशरसिंह हिस्सा 306/4625, माधुसिंह पुत्र उम्मेदसिंह हिस्सा 305/18500, रहन हिस्सा बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शिव, रूगसिंह पुत्र बेरीसालसिंह हिस्सा 152/23125, सबलसिंह पुत्र आम्बसिंह हिस्सा 51/4625 रहन हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा शिव, स्वरूपसिंह पुत्र बेरीसालसिंह हिस्सा 152/23125, सिरेकंवर पत्नी अगरसिंह हिस्सा 962/4625, हिन्दुसिंह पुत्र सबलसिंह हिस्सा 51/4625 रहन हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा शिव, जाति राजपुत, सा. देह खातेदार	हाथीसिंह का गांव	165	37.4334	बा. दो.		हरा

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित इस निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 26.06.2023 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव